न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : पुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 289 / 2022 (पुराना 84 / 2020)

वाद दायरी दिनांक — 25.11.2020

महबूब खां उम्र 77 वर्ष पुत्र करीम खां जाति कायमखानी निवासी पाटोदा उप तहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं

यादी

बनाम

1—भंवरअली उम्र व्यस्क पुत्र मुकारब खां जाति कायमखानी निवासी पाटोदा उप तहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुझुनु।

2—मोबिन बानो उम्र व्यस्क पुत्री मुकारब खा पत्नी मनवरखां जाति कायमखानी निवासी गिडानिया तहसील चिड़ावा जिला बुझुनु।

3— आमना बानो उम्र, व्यस्क पुत्री मुकारब खा पत्नी निसारखां जाति कायमखानी निवासी गिडानिया हाल निवासी ती 83 इन्द्रानगर झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं

4.रजियाबानो उम्र व्यस्क पुत्री मुकारबखा पत्नी भवरू खां जाति कायमखानी निवासी दिलाई उप तहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुझुनु।

5 जरीना बानो उम्र व्यस्क पुत्री मुकारबखां पत्नी इकबालखां जाति कायमखानी निवासी आथुणा मोहल्ला मण्डावा तहसील व जिला झुझुनु।

6 अजाज नबी उन व्यस्क पुत्र सादुलेखां जाति कायमखानी निवासी पाटोदा उप तहसील बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुमुनु।

7—फरियाद उम्र व्यस्क पुत्र सादूलेखां जाति कायमखानी निवाती पाटोदा उप तहतीश बिसाऊ तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं

8—अनवर बानो पुत्री सादुलेखां पत्नी रज्जाक खां निवासी सिरियासर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं

9—परबीनबानो पुत्री सादुलेखां पत्नी लियाकत जाति कायमखानी निवासी सिरियासर कला तहसील झुंझुनूं जिला झुंझूनूं।

10—जन्नतबानो उम्र व्यस्क पुत्री नसीबन दोहिती मुमताज अली जाति कायमखानी निवासी पुरा की ढाणी तहसील व जिला झुंझुनूं

11– युनुसखान उम्र व्यस्क पुत्र मुमताज अली जाति कायमखानी निवासी मौहल्ला मुगलान स्टेशन के पास वार्ड न 28 फतैहपुर जिला सीकर ।

12– सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार महोदय मलसीसर जिला झुंझुनु।

प्रतिवादीगण

वकील वादी – श्री विनोद गिल एडवाकेट

श्री मनोज बजाज एडवोकेट –प्रतिवादी न0 01 लगा.06 व 07 से 10

दावा बाबत घोषणार्थ

निर्णय

निर्णय दिनांक 03.07.2025

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है ि यहकि दाणी पाटोदा पटवार हल्का पाटीदा में गत वन–77 रकब 11 बीघा 1 विश्वा, हाल खन्न–678 रकवा 2.28 हैक्टर भूमि स्थित है उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण 01 लगायत 09 की सह खातेदारी की भूमि है।वाद की धारा 01 को पूर्व में करीम खां ने ठिकाना समय में लगान के बदले काश्त हेतु लिया लगान ठिकाना में जमा करवाया । राजस्थान कास्तकारी अधिनियम प्रभाव में जाने के पश्चात उक्त भूमि का लगान करीमा ने राजस्थान सरकार में जमा करवाया अर्थात उक्त भूमि करीबखां को लगान के बदले काश्त में मिली थी करीम खां ने अपने जीवन पर्यन्त उक्ता भूमि को काश्त किया व काबिज रहा है। करीम खा की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि को वादी व प्रतिवादीगण न 01लगायत 09 काश्त करते है व काबिज है।वहाँ वाद की धारा में वर्णित भूमि में 1/3 हिस्सा वादी का, 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण न01 लगावत 5 का व 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण नः 6 लगायत 9 का सामुहिक रूप से है। इसी प्रकार मौके पर भूमि को काश्त करते है व काबिज है ।वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड राजस्व कर्मचारियों की गलती से मुमताज अली पुत्र लाबदीखां के नाम बन गया तथा नामान्तरकरण संख्या 92 गलत रूप से तर्क काश्त के आधार पर गलत रूप मुमताज अली पुत्र लाबदीजा के नाम से गलत दर्ज हो गया। जबकि मुमताज अली पुत्र लाबदीदा साकिन टाई कोई व्यक्ति नही है अर्थात अर्थात मुमताज अली पुत्र लावदीखां टाई का निवासी कभी नही रहा। मुमताज पुत्र लाबदीखां फतेहपुर का रहने वाला व्यक्ति है जिसके नाम उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड गलत बन गया उक्त गलत प्रविष्टी का फायदा उठाकर युनुसखा ने नामान्तरकरण संख्या 250 दिनाक 12–10–2020 को अपने व जन्नत बानों के नाम गलत दज करवा लिया । वादी व प्रतिवादीगण 01 लगायत 09 तर्क काश्त के आधार तस्दीक हुए। नामातरकरण संख्या 92 व उसी आधार पर गलत बने राजस्व रिकार्ड व गलत रूप है तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 250 से पाबन्द नही है उक्त नामान्तरकरण सख्या 92 व

उसके आधार पर गलत बना राजस्व रिकार्ड व उसके आधार पर तरमीक नामान्तरकरण संख्या 250 वादी व प्रतिवादीगण 01लगायत 09 के अधिकारों पर शुन्य है। वादी व प्रतिवादीगण न.01 लगायत 09 वाद की धारा 01 में वर्णित भूमि को काश्त करते है व काबिज है वादी के पूर्वज करीमखा पुत्र अलीम खा का खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 में इन्द्राज है तथा उक्त भूमि का समयपर लगान करीमखा ने जमा करवाया है तथा करीमखां ने अपने जीवन पर्यन्त उक्त भूमि को काश्त किया व काबिज रहा है। करीमखा की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि के 1/3 हिस्से को वादी काश्त करता है व काबिज है तथा 1/3 हिस्से को प्रतिवादगराण 01 लगायत 5 काश्त करते है व काबिज है तथा 1/3 हिस्से को प्रतिवादीगण न 06 लगायत 09 काश्त करते है व काबिज है।प्रतिवादी न०न. 10 व 11 वादकी धारा01 में वर्णित भूमि से कभी कोई सम्पन्ध नही रहा है। मुमताज अली फतेहपुर का रहने वाला व्यक्ति या जितने नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से राजस्व रिकार्ड बन गया जिसका गलत फायदा उठाकर राजस्व कर्मचारियों है अपने नाम गलत राजस्व रिकार्ड बनाया है पाटोदा से फतेहपूर की दुरी 40 किलोमीटर बनती है तथा राजस्व रिकार्ड के मुमजात अली पुत्र लावदीखां निवासी टांई दिखाया गया इसलिये उक्त गलत बने राजस्व रिकार्ड से वादी प्रतिवादी न–2 लगायत 09 पाबन्द नहीं है।वादी व प्रतिवादीगण न 01लगायत 09 करीम खां के वारिस होने से वाद की धारा 01 में वर्णित भूमि के सह खातेदार है। वादी वाद की धारा 01 में वर्णित भूमि में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। तथा 1/3 हिस्से खातेदार वातकार प्रतिवादीगण न 01 लगायत 5 सामुहिक रुप से घोषित करवाने के अधिकारी है तथा 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार 6 लगायत 09 घोषित करवाने के अधिकारी है। इसी प्रकार रिकार्ड दुरुस्त कर विभाजन करवाने का अधिकारी है।प्रतिवादीगण 10 व 11 राजस्व प्रविष्टियाँ का गलत फायदा उठाकर भूमि को विक्रय करना चाहते है जिसका उनका कोई अधिकार नही है। इसलिये वादी प्रतिवादीगण 10 हाथ व 11 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करवाने का अधिकारी है कि वाद में वर्णित भूमि ख.न.678 को प्रतिवादीगण 10 व 11 विकय दान व रहन नही करे वादी व प्रतिवादीगण 01लगायत 9 की काश्त करने से नही रोके, रिकार्ड व मौके की पथास्थिति वनाये रखे ।यह कि वादी व प्रतिवादीगण न 01 लगायत 9 को गलती बने राजस्व रिकार्ड की गलत प्रविष्टियों की पूर्व में जानकारी नहीं थी । वादी को प्रतिवादीगण न०10 व 11 ने दिनाक 12–10–2020 को अपने नाम नामीन्तरकरण) चढवाकर दिनांक 20–10–2020 को वाद में वर्णित भूमि से बेदखल करने की धमकी दी तथा जाहिर किया कि उक्त भूमि का समस्त राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण 10 व 11 के नाम है उक्त भूमि को विक्रय करेंगे तव वादी ने समस्त राजश्व रिकार्ड की प्राप्त करने पर गलत बने राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई इसलिये दावा वावत घोपणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का

माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। दावा बाबत वादकारण दिनांक 20–10–2020 को प्रतिवादी न 11 युनुसखान ने वादी व प्रतिवादीगण न। लगायत 9 को वाद में वर्णित भूमि से बेदखल करने की धमकी दी तथा जाहिर किया कि उक्त भूमि का समस्त राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण न. 10 व 11 के नाम है वो उक्त भूमि को विक्रय करेंगे तब वादी ने समस्त राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की तब वादी को गलत बने राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई तब वाद कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ।अतः वाद पेशकर निवेदन है कियाद डिग्री इस अमर की फरमाया जावे कि क– वाद में वर्णित भूमि गत ख.न. 77 रकबा 09 बीघा 01 बिस्या हाल ख.न.678 रकबा 2.28 हैक्टर में वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये तथा 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण न 01 लगायत 5 को घोषित किया जावे व 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण न.6 लगायत 09 को घोषित किया जाये इसी आशय का रिकार्ड दुरुस्त कर भूमि का विभाजन अलग अलग किया जाये उक्त भूमि बाबत गलत तसदीक हुआ नामान्तरकरण संख्या 92 व उसके आधार पर गलत बना राजस्व रिकार्ड तथा उसी के आधार पर गलत तसदीक हुआ नामान्तरकरण संख्या 250 दिनाक 12–10–2020 वादी व प्रतिवादीगण न 01लगायत 09 के अधिकारों पर प्रभावहीन है उक्त गलत बने राजस्व रिकार्ड को वादी व प्रतिवादीगण नः01 लगायत 09 दुरुस्त करवाने के अधिकारी है। वादी प्रतिवादीगण न०10 व 11 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वाद में वर्णित भूमि गत ख.न.77 व हाल खन्न–678 रकबा 2.28 हैक्टर को विक्रय, दान व रहन नही करे तथा रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादीगण 01 लगायत 06 व 08 लगायत 10 ओर से अभिभाषक उपस्थित हुआ तथा इकबालिया जबाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण 07 व 11 बाद तामिल के अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षिय कार्यवाही अमल लायी है।

वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में अपना स्वयं का शपथ पेश किया । प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र पर दस्तावेत प्रर्दश –1 खसरा मिलान क्षेत्र प्रर्दश –2 जमाबन्दी सम्वत 2012–15, प्रर्दश–3 जमाबन्दी सम्वत 2016–19, प्रर्दश –4 जमाबन्दी सम्वत 2024–27 प्रर्दश –5 जमाबन्दी सम्वत 2028–2031, प्रर्दश–06 जमाबन्दी सम्वत 2032–35, प्रर्दश 7 जमाबन्दी आधार वर्ष 2005, प्रर्दश 8 जमाबन्दी सम्वत 2065–68, प्रर्दश 9 जमाबन्दी सम्वत 2069–72, प्रर्दश–10 खसरा गिरदावरी 2009–2012, प्रर्दश

–11खसरा गिरदावरी 2025–28, प्रदर्श –12 जमाबन्दी सम्वत 2042–45, प्रदर्श –13 जमाबन्दी सम्वत 2042–45, प्रदर्श–14 नामान्तरकरण संख्या 65 दिनांक 15.10.2020, प्रदर्श–15 नामान्तरकरण संख्या 92 , प्रदर्श–16 लगान रसीद7046, 14188,प्रदर्श–17 लगान रसीद 10557 2211, , प्रदर्श–18 लगान रसीद 934, 42502 आले गये।

विधि में भूमि के विभाजन व घोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 में घोषणा का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

प्रश्नगत प्रकरण में वादीगण के पूर्वज करीम खां के नाम से खसरा गिरदावरी 2009–2012 में काश्त दर्ज है तथा वादी की ओर पेश लगान रसीदें प्रदर्श 16 लगायत 18 के आधार पर काश्त साबित है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके दाणी पाटोदा पटवार हल्का पाटोदा में गत ख. न–77 रकब 11 बीघा 1 विश्वा, हाल खन्न–678 रकबा 2.28 हैक्टर भूमि में दर्ज खातेदारान का नाम हजफ किया जाकर वादी को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी न0 01 लगायत 05 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी न0 06 लगायत 09 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ

अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :— राजस्व वाद संख्या 289/2022 महबुब खां बनाम भंवरअली वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 03.07.2025 के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके दाणी पाटोदा पटवार हल्का पाटोदा में गत ख.न—77 रकब 11 बीघा 1 विश्वा, हाल खन्न—678 रकबा 2.28 हैक्टर भूमि में दर्ज खातेदारान का नाम हजफ किया जाकर वादी को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी न0 01 लगायत 05 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी न0 06 लगायत 09 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 03.07.2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा